

सामाजिक कल्याण योजनाएं

2508. श्री कनकमल कटारा:

श्री एस. वेंकटेशन:

श्री राजन बाबूराव विचारे:

श्री राजेश नारायणभाई चुड़ासमा:

श्रीमती रमा देवी:

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:

श्री गिरिधारी यादव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों/बीपीएल लोगों जैसे देश के कमजोर वर्गों के लिए कोई विशेष योजना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के नाम क्या हैं और गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए आवंटित और खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे इसकी जांच करने के लिए कौनसा निगरानी तंत्र है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग): इस विभाग को अनुसूचित जातियों (एससी) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), वरिष्ठ नागरिकों, नशीली दवा का दुरुपयोग करने वाले पीड़ितों, ट्रांसजेंडरों, विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) से संबंधित शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की योजनाओं के कार्यान्वयन का अधिदेश प्राप्त है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित निधियों की मात्रा का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-1 व अनुबंध-11 में दिया गया है।

(घ): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें/सम्मेलन, क्षेत्रीय दौरे, वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की जाती हैं ताकि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और केंद्र सरकार द्वारा जारी निधियों का समुचित उपयोग किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे।

दिनांक 3.12.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 2508 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सामाजिक कल्याण योजनाएं:

1. कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत एससी छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।
2. सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकर व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।
3. अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना।
4. अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता।
5. बालक-बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।
6. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
7. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना।
8. एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना।
9. एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना।
10. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति।
11. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को अनुदान सहायता संबंधी योजना।
12. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन।
13. मैनुअल स्केवेंजर्स का विशेष पुनर्वास (एसआरएमएस)
14. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)।
15. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) को सहायता।
16. अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)।
17. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)
18. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।
19. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
20. ओबीसी बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
21. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप।
22. ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी संबंधी डा. अम्बेडकर योजना।
23. ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए कौशल विकास हेतु सहायता।
24. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)
25. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)
26. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता

दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2508 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. योजना का नाम: कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना :

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	1554.35	4335.37	1798.74	0	0
2	असम	673.01	0	0.00	0	0
3	बिहार	3127.82	10223.33	0.00	0	0
4	चंडीगढ़	32.22	42	46.75	18.98	0
5	छत्तीसगढ़	1237.62	4662.14	2496.29	0	0
6	दादरा और नगर हवेली	0	0.65	0.00	0	0
7	दमन और दीव	1.67	2.65	0.00	2.68	0
8	दिल्ली	0	0.9	0.00	2.36	0
9	गोवा	0	0	0.00	0	0
10	गुजरात	1200	1600.00	2100.12	0	0
11	हरियाणा	0	3279.66	0.00	1500.00	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	531.13	363.80	143.01	0
13	जम्मू और कश्मीर	86.25	0	129.83	0	0
14	झारखंड	0	0	0.00	0	1634
15	कर्नाटक	3826.44	0	5819.59	0	0
16	केरल	1159.33	1731.06	1654.25	0	0
17	मध्य प्रदेश	8022.55	4300.00	13352.88	0	0
18	महाराष्ट्र	5977.37	0	0.00	0	0
19	मणिपुर	28.13	32.49	0.00	38.92	0
20	मेघालय	3.62	0	0.00	0	0
21	ओडिशा	5135.24	5440.43	3140.88	1849.79	996
22	पंजाब	2869.66	4862.00	2821.02	1843.00	0
23	राजस्थान	4922.9	345.55	2101.16	0	3075
24	सिक्किम	0	5.22	0.00	5.74	0
25	तमिलनाडु	2323.68	10297.44	7382.39	0	0
26	त्रिपुरा	302.13	199.10	205.48	55.34	259
27	उत्तर प्रदेश	0	0	0.00	0	2706
28	उत्तराखंड	1626.69	579.19	0.00	325.53	0
29	पश्चिम बंगाल	7292.66	0	7201.58	300.12	2870
30	पुडुचेरी	0	0	0	196.53	0
31	तेलंगाना	0	0	0	0	0
	कुल	51403.34	52470.31	50614.76	6282	11540

टिप्पणी: निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

2. सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	असम	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	0.00	177.34	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	28.85	32.45	0.00	35.07	10.16
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	170.00	0.00	298.00
16	मिजोरम	12.34	16.71	18.17	0.00	0.00
17	ओडिशा	0.53	7.20	0.00	0.00	0.00
18	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
22	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	उत्तराखंड	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
26	पश्चिम बंगाल	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	89.92	241.6	188.17	35.07	311.96

टिप्पणी: निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

3. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	9300.00	13341.00	14398.00	31742.54	9000
2	असम	683.28	810.00	1690.00	0	1500
3	बिहार	3000.00	7476.00	4081.00	0	0
4	चंडीगढ़	275.00	0.00	0.00	145.97	797.44
5	छत्तीसगढ़	1100.00	628.00	190.00	3902.02	323
6	दमन और दीव	20.31	0.00	0.00	0	0
7	दिल्ली	1700.00	0.00	473.76	0	702
8	गोवा	07.00	14.00	0.00	14.99	0
9	गुजरात	3900.00	5964.00	5244.00	14339.54	18055
10	हरियाणा	2700.00	6867.00	10735.00	0	5809
11	हिमाचल प्रदेश	1600.00	2700.00	2400.00	7425	5325
12	जम्मू और कश्मीर	298.00	91.00	202.00	1362.76	0
13	झारखंड	900.00	911.00	2071.00	892.95	1723
14	कर्नाटक	2400.00	3840.00	3300.00	39546.98	2918
15	केरल	4200.00	1647.00	4267.20	8391	0
16	मध्य प्रदेश	6350.00	10300.00	3308.00	23042.54	0
17	महाराष्ट्र	17635.00	27988.00	10669.00	50497.96	143392
18	मणिपुर	1193.50	620.32	583.31	750.56	754
19	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0	0
20.	ओडिशा	4222.83	8995.00	19879.80	4747.56	20891
21	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0	0
22	पंजाब	37687.61	8930.00	28008.40	11573.21	63131
23	राजस्थान	5500.00	8252.00	20056.00	32922.79	7768
24	सिक्किम	46.95	164.53	255.50	0	104
25	तमिलनाडु	25400.00	46064.00	74324.00	43448.24	140738
26	तेलंगाना	8800.00	12454.00	33166.00	14024.24	0
27	त्रिपुरा	1768.59	1625.15	1904.68	1991.84	2597
28	उत्तर प्रदेश	47249.56	46903.00	27000.00	25420.46	167288
29	उत्तराखंड	1800.00	2519.00	7301.00	3969.00	0
30	पश्चिम बंगाल	6600.00	2284.00	4369.00	21256.91	0
	कुल	196337.63	221388.00	279876.65	341409.06	592815.44

टिप्पणी: निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

4. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

क्र.सं.	राज्य	जारी निधि-लाख रूपए में				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	70.0	-	77.0	-	0
2	असम	-	-	1575.0	-	2850.2
3	बिहार	-	-	-	-	3092.8
4	छत्तीसगढ़	-	2100.0	2075.0	375.0	603.2
5	गुजरात	-	-	-	-	260
6	हरियाणा	120.0	-	132.0	-	0
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	936
8	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	738.4
9	झारखंड	-	2100.0	-	-	520
10	कर्नाटक	10.0	4000.0	211.0	-	1300.0
11	केरल	-	-	-	-	10.4
12	मध्य प्रदेश	770.0	4732.0	315.0	1050.0	0
13	महाराष्ट्र	-	-	-	-	1507.6
14	मणिपुर	-	-	-	-	124.8
15	मेघालय	-	-	-	-	41.6
16	ओडिशा	-	2100.0	1575.0	-	0
17	पुडुचेरी	-	-	-	-	104
18	पंजाब	1870.0	350.0	132.0	1610.0	1674
19	राजस्थान	-	-	-	-	0
20	तमिलनाडु	-	-	-	-	1498
21	तेलंगाना	60.0	-	66.0	-	0
22	त्रिपुरा	-	-	-	-	52
23	उत्तर प्रदेश	100.0	4200.0	110.0	865.0	185.0
24	उत्तराखंड	-	-	-	-	1289.6
	कुल	3000.0	19582.0	6268.0	3900.0	16787.6

टिप्पणी: निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

5. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी को एससीए) को विशेष केंद्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		सैद्धांतिक आवंटन	वास्तविक रूप से जारी निधि	सैद्धांतिक आवंटन	वास्तविक रूप से जारी निधि	सैद्धांतिक आवंटन	वास्तविक रूप से जारी निधि	सैद्धांतिक आवंटन	वास्तविक रूप से जारी निधि	सैद्धांतिक आवंटन	वास्तविक रूप से जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	3757.06	2425.00	3701.90	3701.90	2824.96	2824.96	3377.00	3377.00	4184.43	5253.17
2	असम	1479.46	0.00	1011.29	0.00	615.79	607.93	1185.00	1413.00	1251.24	0.00
3	बिहार	10444.04	3156.04	10370.86	10357.00	8214.66	3886.91	6622.00	0.00	12957.35	600.00
4	छत्तीसगढ़	2759.19	2759.19	2609.74	1276.14	1699.20	1699.20	1310.00	6807.00	1350.73	2148.00
5	गुजरात	2574.13	1011.03	2261.70	1045.00	1756.05	1756.05	1630.00	0.00	1493.76	0.00
6	गोवा	22.81	0.00	23.69	0.00	5.04	0.00	8.00	0.00	4.21	0.00
7	हरियाणा	2618.24	0.00	2498.22	0.00	1752.26	1752.26	2044.00	1117.00	1964.29	1534.00
8	हिमाचल प्रदेश	1309.97	1309.97	1323.56	1254.41	607.95	607.95	694.00	1300.00	961.82	962.00
9	जम्मू और कश्मीर	637.49	0.00	679.44	512.45	307.48	307.48	367.00	407.00	371.47	371.00
10	झारखंड	1823.45	1606.04	1788.33	1414.89	1099.54	1099.54	1591.00	845.00	1591.07	2243.00
11	कर्नाटक	11318.62	11318.62	9855.63	9086.84	3197.28	3197.29	4189.00	8189.00	6563.86	6355.44
12	केरल	1433.93	827.63	1497.38	1497.37	1049.55	550.73	1217.00	1452.00	1136.55	1137.00
13	मध्य प्रदेश	5254.87	5254.87	9741.39	9199.34	7880.06	7880.06	4532.00	4759.00	5052.08	9178.00
14	महाराष्ट्र	5610.53	3010.07	5536.95	3161.20	4234.14	4234.14	5304.00	0.00	5316.38	0.00
15	मणिपुर	92.87	0.00	73.18	73.18	30.81	26.50	52.00	0.00	80.81	90.00
16	ओडिशा	3409.30	2258.45	3845.47	2398.01	2404.72	2404.72	2870.00	5070.00	3446.34	5267.00
17	पंजाब	4418.26	0.00	6929.70	2708.95	5239.94	5239.94	3541.00	0.00	3811.15	0.00
18	राजस्थान	6027.42	6027.26	5973.11	3438.30	4289.57	1441.22	4883.00	5683.00	5632.23	6498.00
19	सिक्किम	30.21	29.48	18.98	108.68	47.77	47.76	15.00	150.00	11.45	165.00
20	तेलंगाना	6933.57	6933.57	6649.58	3636.98	4971.17	17846.23	5772.00	5772.00	6397.72	7407.47
21	तेलंगाना*	2416.23	2416.23	2380.75	2380.75	1187.79	3687.79	2168.00	4168.00	2472.03	3287.00
22	त्रिपुरा	803.50	1370.52	566.55	1488.14	905.63	905.62	348.00	2348.00	656.50	1470.00
23	उत्तर प्रदेश	21422.84	9955.86	19316.27	10488.83	16448.92	9201.40	16544.00	11701.00	18637.72	25263.14
24	उत्तराखंड	903.62	0.00	962.78	0.00	443.28	0.00	757.00	0.00	478.09	0.00
25	पश्चिम बंगाल	8330.17	8330.17	10727.56	10727.56	8386.44	8386.44	8580.00	8580.00	13676.73	10448.78
26	चंडीगढ़	84.13	0.00	200.00	44.08	200.00	200.00	200.00	47.00	250.00	47.00
27	दिल्ली	56.06	0.00	130.95	0.00	139.21	0.00	187.00	0.00	234.36	0.00
28	पुडुचेरी	28.06	0.00	69.04	0.00	60.79	60.00	13.00	0.00	15.64	0.00
	कुल	106000.03	70000.00	110744.00	80000.00	80000.00	79792.12	80000.00	73185.00	100000.01	89725.00

17

6. बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जारी निधि (लाख रूपए में)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	0	126
2	असम	0	84.80	0.00	718.44	622.0232
3	बिहार	81.00	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	170.40	232.29	244.17	404.89	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	292.36	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	160.41	0
9	झारखंड	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	0	0	0	0	150
11	केरल	0	0	0	300	0
12	मध्य प्रदेश	0	0	352.34	3547.66	0
13	महाराष्ट्र	416.45	163.40	90.00	103.05	101.25
14	मणिपुर	444.97	144.31	271.55	628.37	149
15	मेघालय	0	0	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0	0	0
18	ओडिशा	0	80.00	653.73	283.73	0
19	पंजाब	106.38	89.57	571.78	273.88	399
20	राजस्थान	181.46	1350.00	2.50	81.46	0
21	सिक्किम	0	700.00	0.00	0	175
22	तमिलनाडु	0	0	0	300	0
23	तेलंगाना	0	0	0	0	288.8
24	त्रिपुरा	0	100.00	157.50	157.5	0
25	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
26	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	472.00	1332.27	666.41	41.25	0
28	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
29	दिल्ली	0	0	0	0	0
30	पुडुचेरी	0	0	0	0	300
कुल		1872.7	4569.00	3009.98	7000.6	2311.07

टिप्पणी: निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

7. बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जारी निधि (लाख रूपए में)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	0	50.00	0.00	0	0
2	असम	0	0	0	0	324.18
3	बिहार	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	0	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	86.18	60	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	40.62
9	झारखंड	0	18.26	0	0	0
10	कर्नाटक	0	0	0	0	135
11	केरल	90.00	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	0	0	240	240	412.5
13	महाराष्ट्र	60.29	84.62	65.79	67.5	0
14	मणिपुर	0	0.00	0.00	0	118
15	मेघालय	0	0	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0	0	0
18	ओडिशा	0	0	50	0	188.4
19	पंजाब	121.05	23.40	71.71	26.84	23.4
20	राजस्थान	45.00	0.00	2.50	45	0
21	सिक्किम	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0	0	0	110.66	0
23	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
25	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	125	65.8	0	0	0
27	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
28	दिल्ली	0	0	0	0	0
29	पुडुचेरी	0	0	0	0	102.5
TOTAL		441.34	328.26	490.00	490	1344.6

टिप्पणी: निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

8. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता

(रूपए लाख में)

क्रसं..	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	आंध्र प्रदेश	425.19	405.00	1892.73	2609.01	3700.84
2.	असम	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
3.	बिहार	415.995	950.00	728.01	1506.67	1220.00
4.	छत्तीसगढ़	246.38	100.00	274.97	507.12	0.00
5.	गोवा	11.00	7.00	13.80	7.45	40.00
6.	गुजरात	727.255	450.00	1438.41	3010.755	1072.24
7.	हरियाणा	178.62	160.00	458.55	753.625	1041.419
8.	हिमाचल प्रदेश	94.32	60.00	281.74	42.485	0.00
9.	झारखंड	140.877	50.00	84.53	183.702	316.565
10.	कर्नाटक	1730.535	495.00	2933.46	2864.77	6020.75
11.	केरल	1359.943	494.12	0.00	1105.46	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2183.155	2250.00	4207.00	6819.965	7224.67
13.	महाराष्ट्र	2049.805	1260.00	1600.00	2547.47	416.553
14.	ओडिशा	802.335	524.00	1050.25	1124.435	1356.25
15.	पंजाब	0.00	153.65	265.00	100.00	0.00
16.	राजस्थान	658.77	1775.00	1400.00	3070.695	1820.26
17.	सिक्किम	0.00	10.00	17.00	21.00	25.00
18.	तमिलनाडु	720.295	470.00	1724.77	1921.2345	2525.015
19.	तेलंगाना	1328.17	448.76	1147.86	1373.445	2306.275
20.	त्रिपुरा	10.00	2.00	0.00	14.750	22.957
21.	उत्तर प्रदेश	1197.54	1470.00	2214.90	5100.4705	10813.115
22.	उत्तराखंड	58.19	35.47	13.02	76.488	144.28
23.	पश्चिम बंगाल	191.625	126.00	300.00	409.00	256.041
24.	चंडीगढ़	20.00	1.00	10.00	10.00	50.00
26.	दमन और दीव	9.35	10.00	0.00	0.00	0.00
27.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	29.50	35.00	25.00	0.00	48.00
28.	पुडुचेरी	150.50	165.00	175.00	400.00	152.00
	कुल	14739.35	11907.00	22256.00	35586.00	40572.23

9. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एवं अन्य संगठनों को अनुदान सहायता संबंधी योजना

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र / संस्थान	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
		खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	26.06	42.20	27.41	135.77	118.90	25.02
2.	गुजरात	23.80	1.06	25.45	32.18	0	15.47
3.	हरियाणा	15.32	0.00	43.22	0.67	3.88	0
4.	हिमाचल प्रदेश	6.70	6.88	6.58	6.51	11.76	1.60
5.	जम्मू और कश्मीर	6.17	13.54	33.41	9	11.75	0
6.	कर्नाटक	195.27	407.30	562.67	224.7	164.70	5.54
7.	मध्य प्रदेश	40.14	5.86	125.40	40.23	49.78	23.04
8.	महाराष्ट्र	524.03	460.67	1463.48	1119.17	678.13	113
9.	ओडिशा	246.51	76.20	513.66	363.50	18.10	22.31
10.	राजस्थान	206.92	359.42	709.57	31.19	83.35	92.86
11.	तमिलनाडु	36.24	50.18	5.74	29.96	54.35	50.72
12.	उत्तर प्रदेश	305.62	149.66	918.36	290.58	312.40	236.01
13.	उत्तराखंड	1.64	0.00	0.00	0	31.64	0
14.	पश्चिम बंगाल	45.66	11.99	28.75	80.35	39.41	0
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	139.62	151.62	191.36	44.81	147	0
16.	असम	52.99	7.29	132.84	153.73	42.47	40.68
17.	मणिपुर	30.01	4.05	150.47	27.93	64.59	8.60
18.	तेलंगाना	0.00	46.95	69.76	59.72	25.56	0
19.	एनएसकेएफडीसी	शून्य	1717.00	800.0	1400.00	0	0
20.	एनएसएफडीसी	शून्य	1460.00	1198.0	2950.00	1750	2020
	कुल जोड़	1902.70	4971.87	6999.55	7000.00	3607.77	2654.87

10. आबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

राशि लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		आबंटित निधि	ज़ारी निधि	आबंटित निधि	ज़ारी निधि	आबंटित निधि	ज़ारी निधि	आबंटित निधि	ज़ारी निधि	आबंटित निधि	ज़ारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	571.00	515.50	571.00	635.00	536.00	681.87	536.00	402.00	890.00	890.00
2	बिहार	1206.00	721.00	1206.00	2180.00	1134.00	850.50	1134.00	1782.00	1875.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	296.00	948.00	296.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	460.00	460.00
4	गोवा	18.00	36.00	17.00	320.00	16.00	20.46	16.00	173.00	30.00	30.00
5	गुजरात	702.00	573.32	702.00	678.88	660.00	765.88	660.00	942.00	1090.00	1090.00
6	हरियाणा	295.00	0.00	295.00	0.00	277.00	342.82	277.00	126.13	460.00	190.00
7	हिमाचल प्रदेश	80.00	40.00	80.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	125.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	145.00	0.00	145.00	0.00	137.00	75.74	137.00	0.00	225.00	0.00
9	झारखंड	384.00	68.53	384.00	214.85	360.00	458.04	360.00	514.00	595.00	595.00
10	कर्नाटक	710.00	710.00	710.00	1285.00	667.00	848.52	667.00	952.00	1105.00	1105.00
11	केरल	388.00	607.00	388.00	703.00	365.00	464.23	365.00	521.00	605.00	453.75
12	मध्य प्रदेश	844.00	0.00	844.00	0.00	793.00	1008.69	793.00	0.00	1310.00	0.00
13	महाराष्ट्र	1306.00	279.70	1306.00	1306.00	1228.00	1217.92	1228.00	921.00	2030.00	0.00
14	ओडिशा	487.00	243.50	487.00	0.00	458.00	426.75	458.00	395.00	760.00	482.67
15	पंजाब	322.00	0.00	322.00	582.00	303.00	385.29	303.00	0.00	500.00	198.00
16	राजस्थान	797.00	508.44	797.00	598.33	749.00	575.32	749.00	1247.00	1240.00	930.00
17	तमिलनाडु	838.00	744.31	838.00	628.50	787.00	977.49	787.00	590.25	1305.00	0.00
18	तेलंगाना	413.00	413.00	414.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00	640.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	2320.00	3520.00	2320.00	1740.00	2180.00	2772.99	2180.00	3112.00	3605.00	3605.00
20	उत्तराखंड	117.00	58.50	117.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	180.00	0.00
21	पश्चिम बंगाल	1061.00	315.60	1061.00	952.28	997.00	747.75	997.00	879.84	1650.00	1650.00
22	असम	1228.00	319.00	1228.00	0.00	1228.00	58.93	1228.00	0.00	1900.00	0.00
23	मणिपुर	106.00	100.00	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	160.00	0.00
24	सिक्किम	24.00	0.00	24.00	11.60	24.00	12.60	24.00	2.50	40.00	4.49
25	त्रिपुरा	142.00	174.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	220.00	300.00
26	अंडमान एवं निकोबार द्विप समूह	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	36.00	10.00	9.23
27	चंडीगढ़	61.00	0.00	61.00	1.33	61.00	1.97	61.00	2.98	60.00	10.05
28	दादरा और नगर हवेली	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	1.02	20.00	0.90
29	दमन और दीव	11.00	5.50	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	60.00	10.00	79.82
30	दिल्ली	93.00	54.76	93.00	93.00	93.00	54.76	93.00	0.00	90.00	58.75
31	पुडुचेरी	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	23.00	7.00	21.00	10.00	41.25
	कुल	15000.00	10955.66	15000.00	12078.77	14200.00	12913.5	14200.00	12822.72	23200.00	12183.91

11. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर (छात्रावृत्ति योजना)

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		आबंटित निधि	जारी केंद्रीय सहायता	आबंटित निधि	जारी केंद्रीय सहायता	आबंटित निधि	जारी केंद्रीय सहायता	आबंटित निधि	जारी केंद्रीय सहायता	आबंटित निधि	जारी केंद्रीय सहायता
1	आंध्र प्रदेश	3022.00	3322.00	3408.00	3545.05	3404.00	3709.10	3404.00	4399.11	4183.00	4121.81
2	बिहार	6385.00	6581.90	7205.00	7485.00	7196.00	5397.00	7196.00	0.00	8843.00	8842.71
3	छत्तीसगढ़	1569.00	2623.35	1770.00	0.00	1766.00	0.00	1766.00	2282.26	2172.00	2172.00
4	गोवा	92.00	442.00	104.00	114.00	104.00	113.32	104.00	132.53	128.00	297.05
5	गुजरात	3715.00	3142.87	4192.00	4351.05	4187.00	4562.28	4187.00	5335.74	5145.00	5145.00
6	हरियाणा	1562.00	0.00	1763.00	1494.29	1761.00	0.00	1761.00	0.00	2164.00	1235.46
7	हिमाचल प्रदेश	425.00	425.00	479.00	499.00	478.00	520.84	478.00	609.15	588.00	588.00
8	जम्मू और कश्मीर	769.00	769.00	868.00	777.74	867.00	944.71	867.00	650.25	1065.00	801.10
9	झारखंड	2030.00	2222.90	2291.00	2376.00	2288.00	2493.08	2288.00	2956.86	2811.00	2811.00
10	कर्नाटक	3758.00	4115.30	4241.00	4419.00	4236.00	4615.67	4236.00	5474.32	5205.00	5205.00
11	केरल	2054.00	2117.30	2318.00	2223.70	2315.00	2327.19	2315.00	2950.14	2845.00	2845.00
12	मध्य प्रदेश	4466.00	5620.00	5039.00	5224.00	5033.00	5484.11	5033.00	6504.32	6185.00	6185.00
13	महाराष्ट्र	6914.00	8014.00	7802.00	8106.95	7792.00	8490.40	7792.00	5844.00	9575.00	9575.00
14	ओडिशा	2577.00	1289.00	2908.00	2383.39	2905.00	2855.75	2905.00	2178.75	3570.00	3534.81
15	पंजाब	1704.00	0.00	1923.00	2003.01	1920.00	2092.10	1920.00	1440.00	2360.00	0.00
16	राजस्थान	4220.00	4546.02	4762.00	4950.99	4756.00	5182.28	4756.00	5663.47	5844.00	5782.49
17	तमिलनाडु	4435.00	4571.50	5004.00	5184.00	4998.00	5445.97	4998.00	4550.00	6142.00	6142.00
18	तेलंगाना	2188.00	1094.10	2471.00	2566.00	2468.00	2689.21	2468.00	1851.00	3033.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	12278.00	13445.00	13854.00	14471.97	13837.00	15077.22	13837.00	17882.03	17004.00	20450.66
20	उत्तराखंड	621.00	680.10	701.00	726.00	700.00	737.74	700.00	525.00	860.00	269.46
21	पश्चिम बंगाल	5616.00	5280.55	6337.00	6582.86	6329.00	6602.03	6329.00	8179.08	7778.00	6702.51
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	14.66	11.00	11.00
23	दादरा और नगर हवेली	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
24	दमन और दीव	11.00	7.13	11.00	15.29	11.00	7.13	11.00	0.00	11.00	28.00
25	चंडीगढ़	61.00	61.00	61.00	84.71	61.00	92.87	61.00	85.34	61.00	61.00
26	दिल्ली	93.00	92.98	93.00	0.00	187.00	187.00	187.00	100.00	187.00	154.00
27	पुडुचेरी	7.00	7.00	7.00	56.00	13.00	12.99	13.00	31.99	13.00	32.00
28	असम	6469.00	5454.96	7255.00	0.00	7255.00	5026.84	7255.00	0.00	9991.00	3634.92
29	मणिपुर	560.00	598.00	628.00	602.62	628.00	471.00	628.00	622.37	864.00	653.32
30	त्रिपुरा	746.00	1430.00	837.00	1532.65	837.00	1950.00	837.00	2150.00	1153.00	2450.00
31	सिक्किम	124.00	150.00	140.00	500.00	140.00	500.00	140.00	549.98	192.00	316.10
कुल:		78499.00	78113.96	88500.00	82275.27	88500.00	87587.83	88500.00	82962.35	110000.00	100046.40

12. ओबीसी बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण

रूप लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		आबंटित निधि	जारी निधि	आबंटित निधि	जारी निधि	आबंटित निधि	जारी निधि	आबंटित निधि	जारी निधि	आबंटित निधि	जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश		0.00		0.00		405.00		0.00		0.00
2	जम्मू और कश्मीर		0.00		93.39		502.72		536.64		0.00
3	मध्य प्रदेश		235.50		788.40		497.69		1434.22		342.23
4	ओडिशा		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	तमिलनाडु		304.46		439.79		0.00		205.39		0.00
6	उत्तर प्रदेश	3022.00	0.00	4130.00	350.77	4000.00	140.22	4000.00	273.75	3000.00	84.13
7	पश्चिम बंगाल		0.00		408.61		413.40		0.00		259.60
8	मणिपुर		0.00		237.53		675.97		141.75		1197.00
9	त्रिपुरा		0.00		157.50		0.00		0.00		0.00
10	सिक्किम		274.00		315.00		315.00		608.00		283.50
11	केंद्रीय विश्वविद्यालय		2187.50		1238.50		1050.00		1050.00		1438.75
	कुल	3022.00	3021.46	4130.00	4029.5	4000.00	4000.00	4000.00	4249.8	3000.00	3605.21

13. ओबीसी/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के छात्रों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज संबिन्धी डा. अम्बेडकर योजना।

राशि लाख में

योजना	वर्ष	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	टिप्पणी
ओबीसी/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के छात्रों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज संबिन्धी डा. अम्बेडकर योजना (2014-15 में शुरू की गई)	2014-15	100.00	89.94	इस योजना का कार्यान्वयन नोडल बैंक, कैनरा बैंक के माध्यम से किया जाता है। अतः निधियां कैनरा बैंक को जारी की जाती हैं, न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।
	2015-16	100.00	99.90	
	2016-17	300.00	290.15	
	2017-18	430.00	1987.00	
	2018-19	1000.00	1000.00	

14. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप

राशि करोड़ में

योजना	वर्ष	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	टिप्पणी
ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (2014-15 में शुरू की गई)	2014-15	11.00	9.43	इस योजना का कार्यान्वयन यूजीसी के माध्यम से किया जाता है। अतः निधियां यूजीसी को जारी की जाती हैं, न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।
	2015-16	18.30	18.30	
	2016-17	27.00	27.00	
	2017-18	40.00	20.00	
	2018-19	30.00	30.00	

15. ईबीसी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

राशि लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	100.00	0.00	1000.00	355.00	1512.00	364.87	1000.00	154.05	2300.00	0.00
2	बिहार		0.00		250.00		0.00		0.00		
3	गुजरात		0.00		0.00		0.00		200.00		
4	हिमाचल प्रदेश		0.00		250.00		50.74		300.00		
5	जम्मू और कश्मीर		0.00		0.00		92.92		0.00		
6	केरल		0.00		0.00		248.04		0.00		
7	ओडिशा		0.00		0.00		2.05		25.95		
8	राजस्थान		50.00		0.00		509.07		0.00		
9	उत्तराखंड		0.00		0.00		74.31		0.00		
10	मणिपुर		0.00		0.00		0.00		200.00		
11	सिक्किम		0.00		145.00		91.50		200.00		
12	त्रिपुरा		0.00		0.00		58.50		0.00		
13	चंडीगढ़		0.00		0.00		20.00		20.00		
14	गोवा		0.00		0.00		0.00		0.00		

16. डीएनटी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर मेट्रिकपूर्व एवं मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

राशि लाख में

क्र.सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि
1	हिमाचल प्रदेश	400.00	-	450.00	-	450.00	178.35	600.00	-	1000.00	-
2	गुजरात		-		-		-		539.25		900.00
3	जम्मू और कश्मीर		-		-		47.55		-		-
4	कर्नाटक		200.00		-		-		-		-
5	महाराष्ट्र		150.00		378.11		224.10		-		-
6	राजस्थान		-		71.89		-		-		-
Total		400.00	350.00	450.00	450.00	450.00	450.00	600.00	539.25	1000.00	900.00

17. ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के कौशल विकास हेतु सहायता

क्र.सं.	राज्य/पीएसयू	राशि लाख में							
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	निधि आवंटन	जारी की गई निधि
1	असम	512.00	0.56	900.00	0.00	1000.00	0.00	3000.00	100.00
2	गुजरात		3.10		0.00		0.00		
3	हरियाणा		0.00		0.00		0.00		
4	महाराष्ट्र		29.21		6.47		0.00		
5	मणिपुर		1.70		4.53		0.00		
6	ओडिशा		0.00		1.83		0.00		
7	राजस्थान		11.55		6.93		0.00		
8	उत्तराखंड		1.54		0.00		0.00		
9	एनबीसीएफडीसी		454.49		879.06		1500.00		4000.00
	संपूर्ण	512.00	502.15	900.00	898.82	1000.00	1500.00	3000.00	4000.00

टिप्पणी: इस योजना के अंतर्गत राज्यवार सैद्धांतिक आवंटन नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2017-18 से एनजीओ को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

18. ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि

योजना	वर्ष	निधि आवंटन	जारी की गई निधि	राशि करोड़ में
				टिप्पणी
ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि (2017-18 से शुरू)	2017-18	10.00	10.00	इस योजना का कार्यान्वयन आईएफसीआई के माध्यम से किया जाता है। अतः निधियां आईएफसीआई को जारी की जाती हैं, न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।
	2018-19	0.00	0.00	

19. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक योजना (आईपीएसआरसी) संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या	जारी की गई निधि	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या	जारी की गई निधि	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या	जारी की गई निधि	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या	जारी की गई निधि	सहायता प्राप्त एनजीओ की संख्या	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	52	352.91	67	389.02	60	647.71	51	728.35	63	1176.81
2	बिहार	2	5.60	2	4.43	3	16.07	2	13.37	02	22.92
3	छत्तीसगढ़	0	0	1	13.85	0	0.00	1	17.95	01	9.13
4	गोवा	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	गुजरात	0	0	0	0.00	2	10.51	5	21.03	06	30.74
6	हरियाणा	4	10.22	12	45.86	12	55.28	10	110.33	09	109.60
7	हिमाचल प्रदेश	2	7.54	2	11.99	2	29.18	3	26.25	01	8.31
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	झारखंड	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	कर्नाटक	17	114.39	27	386.18	26	280.62	25	382.63	22	410.29
11	केरल	1	5.00	4	16.62	5	24.94	3	23.01	06	54.53
12	मध्य प्रदेश	4	25.19	4	29.20	4	12.43	6	28.29	07	107.39
13	महाराष्ट्र	15	71.92	30	291.38	37	239.32	38	434.63	45	833.75
14	ओडिशा	29	203.98	36	324.40	40	774.04	37	730.96	51	848.88
15	पंजाब	6	14.91	6	18.26	5	12.51	4	14.58	04	31.27
16	राजस्थान	2	10.29	3	16.44	2	2.24	3	22.59	02	16.28
17	तमिलनाडु	35	190.07	47	469.98	45	639.69	47	707.16	47	997.41
18	तेलंगाना	7	34.45	9	47.24	14	112.93	15	133.95	14	245.38
19	उत्तर प्रदेश	7	37.17	9	40.08	10	107.29	11	119.11	10	105.89
20	उत्तराखंड	3	7.32	4	12.12	3	54.69	4	20.58	04	67.25
21	पश्चिम बंगाल	20	108.63	16	120.00	15	206.55	17	256.36	13	267.42
22	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	चंडीगढ़	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	दमन और दीव	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	दिल्ली	5	55.15	6	60.91	6	90.62	9	154.38	01	52.78
28	पुडुचेरी	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	1.80
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	असम	13	99.26	15	186.41	16	180.50	16	192.03	18	498.22
31	मणिपुर	19	131.26	26	252.02	18	186.94	20	260.22	24	566.80
32	मेघालय	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	मिजोरम	1	3.10	1	3.77	1	0.54	1	5.89	0	0.00
34	नगालैंड	1	1.13	1	8.10	0	0.00	2	17.43	01	18.90
35	सिक्किम	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
36	त्रिपुरा	2	9.58	3	8.67	2	14.07	3	25.58	02	25.65
	कुल	248	1499.07	332	2758.06	328	3698.67	333	4446.66	354	6507.40

20. अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) को सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	(रुपए लाख में)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
		वितरित की गई निधि	वितरित की गई निधि	वितरित की गई निधि	वितरित की गई निधि	वितरित की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0	0
4	चंडीगढ़	0.00	250.00		100.00	0
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0	100.00
6	दमन और दीव और दादरा नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0	0
8	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9	गुजरात	0.00	0.00	0.00	200.00	0
10	हरियाणा	0.00	0.00	96.00	0.00	0
11	हिमाचल प्रदेश	384.00	0.00	0.00	192.00	0
12	जम्मू और कश्मीर	200.00	0.00	0.00	0	0
13	झारखंड	0.00	530.00	0.00	0	0
14	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0	0
15	केरल	500.00	500.00	700.00	0	0
16	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	200.00	700.00
17	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0	0
18	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0	0
19	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0	0
20	पंजाब	476.00	0.00	600.00	500.00	
21	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0	0
22	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	1.00	99.00
23	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
24	त्रिपुरा	40.00	220.00	40.00	39.00	58.98
25	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	318.00	42.02
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0	0
27	पश्चिम बंगाल	400.00	500.00	564.00	250.00	1000.00
	कुल	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00

21. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	138.00	138.00	128.21	128.21	137.39	137.39	180.00
											14.60

करोड़ रुपए में

22. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान
50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	35.00
											35.00

करोड़ रुपए में

23. अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि

2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान
200.00	200.00	200.00	100.00	0.01	0.01	40.00	40.00	40.00	140.00	10.00	10.00
											60.00
											36.00

करोड़ रुपए में

24. अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वार्षिक अनुमान
200.00	200.00	200.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

करोड़ रुपए में

